रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 1983/फाल्गुन 5, 1904
No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 1983/PHALGUNA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1983

का०आ० 141(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम 1953 की धारा 3 की उपधारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1983 है।

(ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश 1957 के खंड 10 के उपखंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"ग" निर्यात के लिए थोक में पैक की गई चाय के आधान में लगाए गए प्लाइवुड के सभी पट्ट, फट्टियां, फट्टी आवरण, फिडिंगज अस्तर और कीले भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुसार होंगी और कीलों को छोड़कर बाकी सभी संघटकों पर भा०मा०सं० प्रमाण चिह्न लगा होगा :

परन्तु इस उपखंड की कोई बात निम्नलिखित में से किसी को लागू नहीं होगी :—

(i) जहां ऐसा आधान, चाहे वह प्लाइवुड से बना हो, आकार के संबंध में उन विशेष विनिर्देशों के अनुसार है, जो चाय बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, या अन्यथा जैसे क्रेताओं द्वारा अपेक्षित हैं,

(ii) जहां ऐसा आधान इमारती लकड़ी से बना है, न कि प्लाइवुड के टुकड़ों से, और

(iii) जहां ऐसे आधान में शुद्ध 20 किलोग्राम से अनधिक या अन्य ऐसे परिमाण में चाय है, जिसके कारण वह केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा तद्धीन विरचित नियमों के प्रयोजन के लिए पैकेज "चाय" बन जाती है।"

[सं० सी-11018(1)/82-प्लांट क]
पी० एस० रंधावा, अवर सचिव

टिप्पणी

मूल आदेश अधिसूचना सं० का०नि०आ० 1808 तारीख 30-11-1957 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(i) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 429 तारीख 28-2-1978

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1983

S.O. 141(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (3) and (5) of section 3 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea (Distribution and Export) Control Order, 1957, namely :—

1. (i) This order may be called the Tea (Distribution and Export) Control (Amendment) Order, 1983.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Clause 10 of the Tea (Distribution and Export) Control Order, 1957, for Sub-clause (C), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

"C" all plywood panels, battens, batten covers, fittings, Linigns and nails used in a container of tea in bulk packed for export shall conform to the specifications laid down by the Indian Standards Institution and all these components except nails shall bear ISI certification mark ;

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to any of the following :—

(i) where such container even though made of plywood conform to special specifications as to sizes as notified by the Tea Board or otherwise as required by the buyers ;

(ii) where such container is made of timber and not of plywood shooks ; and

(iii) where such container contains not more than 20 kg. net or such other weight as to make it 'package tea' for the purpose of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and rules framed thereunder."

[No. C-11018(1)/82-Plant A]

P. S. RANDHAWA, Under Secy.

NOTE

The principal Order was published vide notification No. S.R.O. 1908 dated 30-11-1957, subsequently amended by

(i) Notification No. C.S.R. 429 dated 28-2-1978.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983